राजस्थान कार्यक्रम, नियमित शिक्षण कार्य और एमडीएम योजना की समीक्षा की। कार्यों से संतुष्टि जताई। विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देने के

की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पौधारोपण कार्यक्रम भी हुआ। कोठारी ने 'एक पौधा मां के नाम' अभियान से जुड़ने की अपील की। कहा, इससे पर्यावरण संरक्षण को गति मिलेगी।

ईएसआईसी में कंपनी व कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए एक और मौका

बांसवाड़ा| श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में एसपीआरईई 2025 योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना कंपनियों और कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। योजना 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत जो फैक्ट्री या कंपनी मालिक अब तक ईएसआईसी अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें एक बार का मौका दिया जाएगा। इस दौरान पंजीकरण कराने पर उनसे पिछली बकाया राशि नहीं ली जाएगी। पहले पंजीकरण न कराने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। इससे फैक्ट्री मालिकों की पुरानी देनदारी की चिंता खत्म होगी। पंजीकरण की तारीख से ही फैक्ट्री और कर्मचारियों को ईएसआईसी के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी मालिक अपनी फैक्ट्री की घोषित तिथि से भी लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। जो कंपनी ऑनलाइन पंजीकरण कराना चाहती हैं, उन्हें ईएसआईसी की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। बांसवाड़ा शाखा प्रबंधक कृष्णप्रताप सिंह ने बताया कि ईएसआईसी एक स्वायत्त संस्था है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नगद और चिकित्सा लाभ देकर सामाजिक सुरक्षा देती है। एसपीआरईई 2025 योजना के जरिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस सुरक्षा दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, मासूम की मौत

अनुग्रह को स्कूल छोड़ने जा रहा था।